छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दाण्डिक अपील क्र. 1599/1995

अपीलार्थीगण : **रूपराम व अन्य**

बनाम

प्रत्यर्थी : **मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छ.ग.)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09 सितंबर 2010 को आदेश की घोषणा के लिए

एस. डी
मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दाण्डिक अपील क्र. 1599/1995

अपीलार्थीगण : रूपराम व अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छ.ग.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपील का ज्ञापन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:- श्री पंकज अग्रवाल, अपीलार्थीगण की ओर से ।
श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

आदेश

(09/09/2010 को पारित)

यह अपील विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश, रायपुर) द्वारा दांडिकप्रकरण (विशेष) क्रमांक 412/91 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 25/11/1995 के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थीगण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(11) के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया है तथा उन्हें छः माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 21/10/1991 की रात्रि में, जब शिकायतकर्ता कु. ज्योति (अ.सा.1), जो गोंड जनजाति की है, अपने कमरे में सो रही थी, तब लगभग 11:30 बजे, अपीलार्थीगण उसके कमरे में घुस आए और उसके कपड़े खींचकर उसकी शील को भंग किया। कु. ज्योति (अ.सा.1)

द्वारा पुलिस थाना धमतरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(11) के अंतर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के पश्चात, विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. कु. ज्योति (अ.सा. 1), कमला बाई (अ.सा. 2), राम बाई (अ.सा. 3), जांच अधिकारी-रामकृष्ण सिंह (अ.सा. 5) की गवाही पर निर्भर करते हुए और अपीलकर्ताओं के बचाव पर अविश्वास करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दोषसिद्धि और सजा के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपित अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से संबंधित, महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्दता संबंधित आवश्यक कार्यवाही किए बिना ही, विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, मामले का संज्ञान नहीं ले सकते, जब तक कि इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से परीक्षण के पश्चात विधिवत रूप से सुपुर्द न किया जाए, इसलिए सम्पूर्ण विचरण दूषित है और दोषसिद्धि का आक्षेपित फैसला कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता कु ज्योति (अ.सा. 1) पर विश्वास किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों ने इसकी पुष्टि नहीं की और अभियोजन पक्ष यह साबित करने

में विफल रहा कि कथित अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य किया गया था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि विश्वनाथ (अ.सा. 4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और अभियोजन पक्ष अन्य गवाह जैसे अर्जुन साहू और पुसाऊ राम की परीक्षण करने में विफल रहा, इसलिए विचरण न्यायालय को अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्वयं शिकायतकर्ता की गवाही के अनुसार, कथित अपराध रात में किया गया था और वहां पूर्ण अंधेरा था और अन्य गवाहों ने अपीलकर्ताओ को घर में घुसकर शिकायतकर्ता की लज्जाभंग करते हुए और बाहर आते हुए नहीं देखा और उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। इसलिए, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि कानून के तहत बरकरार रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किए जाने के आधार पर प्रकरण चलाने में अवैधता से संबंधित आधार को न तो विद्वान न्यायालय के समक्ष उठाया गया और न ही अपील में कोई विशिष्ट आधार लिया गया, इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अर्थ के आधार पर देखे तो केवल अनियमितता है, इसलिए केवल इसी आधार पर विचारण संदूषित है, कहना उचित नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता-कुमारी ज्योति (अ.सा. 1), कमला बाई (अ.सा. 2), राम बाई (अ.सा. 3), विवेचना अधिकारी-रामकृष्ण सिंह (अ.सा. 5) की निर्विवाद गवाही से अपराध का होना साबित हो गया है और इसलिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया पहला आधार विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के संबंध में है कि क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा

मामले को सुपुर्द किए बिना ही अपने न्यायालय में मुकदमा चला सकता है और यह विशेष न्यायाधीश के कथित अपराध पर, मुकदमा चलाने के क्षेत्राधिकार और अधिकार से संबंधित है। मैं इस स्तर पर अपील को केवल इस आधार पर खारिज करने के समर्थन में नहीं हूं कि अपील के ज्ञापन में इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का कोई विशिष्ट आधार नहीं उठाया गया है या ऐसा आधार विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं लिया गया है। इसके अलावा, इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मुकदमे के अवलोकन से पता चलता है कि आरोप पत्र सीधे विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में दायर किया गया था जैसा कि 23/12/1991 के शुरुआती आदेश पत्र से स्पष्ट है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है और यह अभिलेखसे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 412/91 में कहा गया है कि (विशेष) थाना-धमतरी की पुलिस ने विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जैसा कि दिनांक 23/12/91 के आदेश पत्र से स्पष्ट है। क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा की गई किसी भी प्रतिबद्ध कार्यवाही का कोई संदर्भ नहीं है। यह तथ्य दोषसिद्धि और सजा के आक्षेपित फैसले से भी बहुत स्पष्ट है। इसलिए, यह किसी भी संदेह से परे है कि पुलिस ने विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा की गई किसी भी प्रतिबद्ध कार्यवाही के बिना और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के तहत अपेक्षित किसी भी प्रतिबद्ध आदेश के बिना आरोप पत्र दायर किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायाधीश ने स्वयं अपने न्यायालय में सीधे आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर मामले का संज्ञान लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अतः इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विशेष न्यायाधीश के पास सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द किए बिना संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार और अधिकार था।

गंगुला अशोक और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2000) 2 एससीसी 504, विद्याधरन बनाम केरल राज्य, जेटी 2003 (9) एससी 89 और एम.ए. कुट्टप्पन बनाम ई. कृष्णन नयनार और अन्य, एआईआर 2004 सुप्रीम कोर्ट 2825 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर यह प्रश्न अब अनिर्णित विषय नहीं है। गंगुला अशोक (पूर्वोक्त) के मामले में, समान मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था –

> 10. संहिता की धारा 193 को उपरोक्त पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। यह धारा सभी सत्र न्यायालयों पर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा लगाती है, क्योंकि यह मूल अधिकार क्षेत्र वाली न्यायालय है। यह केवल तभी संज्ञान ले सकती है जब "मामला उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किया गया हो", जैसा कि संहिता में प्रावधान है। धारा 193 में उपरोक्त निषेधाज्ञा के अपवाद के रूप में दो खंड इंगित किए गए हैं। पहला, जब संहिता ने संज्ञान लेने के संबंध में स्पष्ट भाषा में अलग प्रावधान किया हो, और दूसरा, जब किसी अन्य कानून ने स्पष्ट भाषा में अलग प्रावधान किया हो।
>
> ऐसे कानून के तहत अपराधों का संज्ञान लेने संबंधी भाषा। धारा 193 में उन अपवादों को दर्शाने के लिए प्रयुक्त "स्पष्टतः" शब्द इस विधायी अधिदेश का सूचक है कि सत्र न्यायालय इस धारा में निहित निषेधादेश से तभी विमुख हो सकता है जब उसे स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में अलग से प्रावधान किया गया हो। दूसरे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शब्दों में, जब तक कि सकारात्मक और विशिष्ट रूप से अलग से प्रावधान न किया गया हो, कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का सीधे संज्ञान नहीं ले सकता, जब तक कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द न किया गया हो।

11.संहिता में कही भी और न ही अधिनियम में, यहाँ तक कि निहितार्थ में भी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि निर्दिष्ट सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय) अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान आरंभिक अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सुपुर्द किए बिना ले सकता है। यदि ऐसा है, तो यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ऐसे विशेष न्यायालय के समक्ष सीधे आरोप-पत्र या शिकायत दायर की जा सकती है। दांडिक न्यायालयों की पदानुक्रमिक व्यवस्था से यह देखा जा सकता है कि सत्र न्यायालय को एक उच्चतर और विशेष दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारा मानना है कि विधायिका ने सत्र न्यायालय को उन सभी प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने के कार्य से विचारपूर्वक मुक्त कर दिया होगा जो मजिस्ट्रेटों को तब तक करनी होती हैं जब तक कि मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द न किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को विद्याधरन (पूर्वोक्त) मामले में दोहराया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला -

"20. इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय अनिवार्य रूप से एक सत्र न्यायालय है

और यह अपराध का संज्ञान तब ले सकता है जब संहिता के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सुपुर्द किया जाता हो। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष सीधे तौर पर कोई शिकायत या आरोप-पत्र नहीं रखा जा सकता है। हम उपरोक्त शर्तों में गंगुला अशोक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2000) 2 एससीसी 504 में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को दोहरा रहे हैं, जिससे हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं। इस मामले में सत्र न्यायालय ने निर्विवाद रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य किया है, और संहिता की धारा 193 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एम.ए. कुट्टप्पन के मामले में पहले के दो निर्णयों पर विचार करते हुए (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला-

"10. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि विशेष न्यायाधीश के पास शिकायत पर सीधे विचार करने और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सौंपे बिना संज्ञान लेने के बाद आदेशिका जारी करने का अधिकार था। यह प्रश्न अब अनिर्णित नहीं है कि अब यह एकीकृत नहीं है और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपने समक्ष दायर एक शिकायत पर विचार करने और मामले को सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई के लिए सौंपे बिना ही संज्ञान लेने के बाद प्रक्रिया जारी करने में गलती की है। हालाँकि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को एक अलग आधार पर रद्द कर दिया है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विशेष न्यायाधीश का

आक्षेपित आदेश, जहाँ तक 1989 के अधिनियम के तहत एक अपराध का संज्ञान लेने और शिकायतकर्ता द्वारा सीधे उसके समक्ष की गई शिकायत के आधार पर प्रक्रिया जारी करने से संबंधित है, रद्द किए जाने योग्य है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने **भूराजी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में जो **(2001) 1 एम.पी.जे.आर. 119** में प्रकाशित है, में सर्वोच्च न्यायालय और गंगुला (पूर्वोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह भी माना है कि सत्र न्यायालय, जिसे 1989 के अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, केवल क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सौंपे जाने पर ही संज्ञान ले सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के प्रावधानों का संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि उक्त प्रावधान को अधिकारिता के दोष को ठीक करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मात्र चूक या अनियमितता नहीं है जिसे ठीक किया जा सके, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **एच.एन. ऋषभ और अन्य बनाम दिल्ली राज्य, एआईआर 1955 एस.सी. 196** और भूराजी (पूर्वोक्त) के मामले में माना है।

10. परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में विचारण अधिकार क्षेत्र से बाहर था और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के प्रावधानों के विपरीत था, इसलिए संपूर्ण विचारण दूषित है और दोषसिद्धि एवं दण्ड का आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि से बरकरार रखने योग्य नहीं है। अतः अपील केवल इसी संक्षिप्त आधार पर सफल होती है और एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि एवं दण्ड का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विधि

अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोप पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत कागजात अभियोजन पक्ष को लौटा दे, जिसे वे आगे की सुनवाई के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर सकता है। विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें 18/10/2010 को क्षेत्राधिकार प्राप्त उपार्पित करने वाले मजिस्ट्रेट, रायपुर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और ऐसी उपस्थिति पर, उन्हें उन्हीं नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा जिन पर वे अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय के समक्ष जमानत पर थे, ताकि वे उपार्पित करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे उपस्थित हो सकें, जैसा कि समय-समय पर निर्देशित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu